संख्या-3/2016/मु0स0-4/एक-6-2016-142(14)/2015

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 18 जनवरी, 2016**

विषय: बेली उपरहार बेली मुस्तखार्जा, फतेहपुर बिछुआ-हासिमपुर इलाहाबाद में स्थित भूमियों में दोहरी प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के पत्र संख्या-395/एक-6-2015-रा0-6 दिनांक 21-4-2015 पत्र पत्र संख्या-562/एक-6-2015-142(14)/2015 दिनांक 22-5-2015 पत्र संख्या-697/एक-6-2015-142(14)/2015 दिनांक 2-6-2015, पत्र संख्या-830/एक-6-2015-142(14)/2015 दिनांक 22-7-2015, पत्र संख्या-904/एक-6-2015-142(14)/2015 दिनांक 10-8-2015, पत्र संख्या-979/एक-6-2015-142(14)/2015 दिनांक 27-8-2015 , पत्र संख्या-1037/एक-6-2015-142(14)/2015 दिनांक 18-9-2015, एवं मु0स0 -63/एक-6-2015-142(14)/2015 दिनांक 30-11-2015 के क्रम में शशि कान्त दूबे के पत्र दिनांक 15-12-2015, 18-12-15 एवं 21-12-2015 की संलग्नक सहित छायाप्रतियां संलग्नकर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध करये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु वांछित आख्या अभी तक अप्राप्त है।

2- अत: अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में की गयी कार्यवाही की आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव

संख्या- 3/2016/मु0स0-4(1)/एक-6-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।